

# पर्यावरण विभाग

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या : 27  
दिनांक : 03 दिसंबर 2019  
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मदन लाल  
क्या माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण-गतिविधियों पर रोक है;	जी, हाँ। रिट याचिका सिविल नं 13029/1985 एम. सी. मेहता बनाम यू. ओ. आई. और ओ. आर. एस (WP(C) No 13029/1985 M. C . Mehta Vs UOI & Ors.) में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण-गतिविधियों पर रोक लगी है।
(ख)	यदि हाँ, तो ललित कला अकादमी, गढ़ी गाँव में मूर्तियाँ बनाए जाने के लिए पत्थर काटने की गतिविधियों की अनुमति दिए जाने का क्या कारण है;	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीडीसीडी) द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई। तथापि, उच्चतम न्यायालय का निर्देश निर्माण और विध्वंस (construction & demolition) कार्यों पर लागू है और यह मामला निर्माण और तोड़-फोड़ की कार्यवाही में नहीं आता है।
(ग)	इस गतिविधि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय, और	उपरोक्तानुसार।
(घ)	क्या उन्हें इस संबंध में कोई नोटिस जारी किया गया है?	उपरोक्तानुसार।